बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–138/2019 - 6294 /पटना, दिनांक– 02/12/19

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:– वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है:–

Sl. No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)	Cost Of Initial Rectification with surface Renewal (in Lakhs)	Cost Of 5 year Maintenance (in Lakhs)	Cost Of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaram-1	Sheosagar	L078 Konar Baraila Road To Pipari (0DR58)	0.900	25.22779	9.85021	2.52278	37.60078
2	Sasaram-1	Sheosagar	Sasaram Chousa Road To Konar Shivsagar PMGSY Road Via Gadura Road	1.300	39.96185	14.18715	3.99619	58.14519
3	Sasaram-1	Sasaram	GT Road To Basantpur	1.273	33.64697	13.25603	3.36470	50.26770
4	Sasaram-1	Kochas	NH-30 To Laheri Village Tak Path Nirman	1.600	31.51401	13.58599	3.15140	48.25140
5	Sasaram-1	Chenari	Kenarkala Middle School To Kenarkala Middle School To Basantpur	1.500	40.21670	16.17030	4.02167	60.40867
6	Sasaram-1	Sheosagar	Beda Darshanadih Main Road Me Karari To Patadhi Mahadalit Tola Via Bishi	1.000	26.62433	10.57567	2.66243	39.86243
7	Sasaram-1	Chenari	Shashi Village To Chowkra Moura Dighat Road	1.000	26.41182	10.60618	2.64118	39.65918
8	Sasaram-1	Chenari	Chandakaithi To Bilaspur Road To Pandeyadihi Village	0.500	10.60167	5.47033	1.06017	17.13217
9	Sasaram-1	Chenari	Nakata Road To Phulwari	0.555	14.73997	6.02403	1.47400	22.23800
10	Sasaram-1	Chenari	Kudra Chenari Road To Tenduni	4.800	136.60900	49.69400	13.66090	199.96390
11	Sasaram-1	Chenari	Chenari Malhipur Road To Primari Urdu School Via Pevandi	4.550	116.37000	49.14900	11.63700	177.15600
12	Sasaram-1	Chenari	Chenari Sadokhar Road To Lodhi Mahaichaa Via Urda Road	3.500	100.86800	35.92700	10.08680	146.88180
13	Sasaram-1	Chenari	Chandrakaithi To Naraura	3.200	61.94200	17.89900	6.19420	86.03520
14	Sasaram-1	Chenari	Seosagar Chenari Road To Semri	2.000	61.10000	20.76100	6.11000	87.97100

28/11/19

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

Sl. No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)	Cost. Of Initial Rectification with surface Renewal (in Lakhs)	Cost. Of 5 year Maintenance (in Lakhs)	Cost. Of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Sasaram-1	Chenari	Seosagar Chenari Road To Dewadih	5.050	132.03200	52.05100	13.20320	197.28620
16	Sasaram-1	Chenari	Langar Kakai To Nuwaon	2.400	66.52300	24.96200	6.65230	98.13730
17	Sasaram-1	Chenari	Son Main Canal 168 KM To Mahubal Road Narayanpur Via Hatta	3.200	85.25200	32.86800	8.52520	126.64520
18	Sasaram-1	Chenari	Maldaha To Baheri	2.850	86.95200	29.76000	8.69520	125.40720
19	Sasaram-1	Chenari	Chandanpura Bariya Road To Lohara PWD Road Via Ramgrh Memejpur Road	3.750	93.61700	38.46900	9.36170	141.44770
20	Sasaram-1	Chenari	Narayanpur Panchayat Bhawan To PWD Road Karanpur	2.250	56.89000	23.36200	5.68900	85.94100
	Total			47.178				1846.43801

2. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, सासाराम–1** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत MBD आधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–64/2019** में दिनांक **01.06.2019 15.07.2019, 05.09.2019** एवं **24.10.2019** को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 23.11.19 को संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–138/2019** में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिशिचत कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

28/11/19

11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारुप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054 04–138/2019 के पृ0– 23/टि0 पर दिनांक– 27.11.19 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

28/11/19

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–138/2019-6294 /पटना, दिनांक–02/12/19

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/19

अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–138/2019-6294 /पटना, दिनांक–02/12/19

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, **पटना**/जिला पदाधिकारी, **रोहतास**/उप विकास आयुक्त, **रोहतास**/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता–1** एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, **सासाराम**/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **सासाराम–1** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं **आई0टी0 नोडल पदाधिकारी** को MIS में अपलोड करने हेतु एवं **आई0टी0 मैनेजर** को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/11/19

अपर सचिव